संख्याः– 155 /XXVII (1)/2012

प्रेषक,

आर.सी. अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च,2012

विषयः– 13वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 की द्वितीय किश्त हेतु जिला पंचायतों को धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में द्वितीय किश्त हेतु कुल धनराशि ₹70380000.00 (₹ सात करोड़ तीन लाख अस्सी हजार मात्र) को संलग्नक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

3– 13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैः–

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4– जिला पंचातयों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

5– अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अपर मुख्य अधिकारी अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 15 मई, 2012 तक उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। **यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये अपर मुख्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

6– संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।